



**भारत सरकार**  
**Government of India**  
**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**National Commission for Scheduled Tribes**  
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं० आर.के.टी./13/2017/एसटीजीसीजी/एसईओटीएच/आर.यू.।।। दिनांक: 11-01-2018

सिटिंग नोटिस

विषय: युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया- देवपुरी ब्रांच द्वारा प्रताड़ित करने बाबत- श्री राधेलाल कोरम ठाकुर, क्वा. नं. डी- 36, रोहणीपुरम, रायपुर (छत्तीसगढ़) का अभ्यावेदन।

संदर्भ: रिकवरी/शिकायत/3015/2017-18 दिनांक 08.06.2017.

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। (प्रेस रिपोर्ट/याचिका/अभ्यावेदन की प्रतिलिपि संलग्न है)

2. श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 09 फरवरी, 2018 को 03.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

सेवा में,

प्रबंधक निदेशक,

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,

11 हेमंत बसु सरणी,

कोलकाता-700 001

प्रतिलिपि:

श्री राधेलाल कोरम ठाकुर, क्वा. नं. डी- 36, रोहणीपुरम, रायपुर (छत्तीसगढ़)

444-45  
11/1/18

  
(आर. के. दुबे)  
सहायक निदेशक  
दूरभाष-24601346

